



सिनाया गया।  
निर्णय आज दिनांक 28.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में पत्रवाली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।  
निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	वक 12 एच.एच.तहसील व जिला श्रीगंगानगर	46	सुखविन्दसिंह पुत्र सरवन्सिंह	सुखमन्दसिंह पुत्र सरवन्सिंह

है :-  
प्रार्थी मनजीतसिंह पुत्र सुखमन्दसिंह जाति जटसिंह निवासी वक 12 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के खाला रूकसी बाबत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में एवं पटवारी हल्का 8 एच.एच. व श्री अमलख निरीक्षक बृजवाली की रिपोर्ट तथा उपतहसीलदार (राजस्व) बृजवाली की रिपोर्ट क्रमांक 135 दिनांक 15.07.2016 के द्वारा की गई अनुरोधों के आधार पर तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.10.2016 को प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 के खाला संख्या 46 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर आदेश दिये जाते हैं, कि प्रार्थी द्वारा निम्न खाला की भूमि पर यदि किसी बँक से ऋण आदि ले रखा हो तो भार मुक्त होने पर निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमाद के आदेश दिये जाते

निर्णय :-  
दिनांक :- 28.10.2016

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
-- -- अप्रार्थी

1. स्टेट आफ राजस्थान- जसिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

बनाम :-

-- -- प्रार्थी

1. सुखमन्दसिंह पुत्र सरवन्सिंह जाति जटसिंह निवासी वक 12 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर।

अनवान :- राजस्व विधिष :- 803/2016

पीठाधीन अधिकाारी :- कैलाश चन्द शर्मा आर.एस.